

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्रस्तुति 24क
(नियम 85वां देखिए)



यह प्रस्तुति आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान राजनीतिक दल की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पूर्व निर्वाचन आयोग के समक्ष फाइल किया जाना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाणपत्र आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन छूट का दावा करने के लिए आय-कर विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

1. राजनीतिक दल का नाम : चत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
2. राजनीतिक दल की प्राचीनता पंडित जगद्गुरु त्रिमूर्ति भाष्टाचार्य
- (मान्यताप्राप्त/ अमान्यताप्राप्त)
3. राजनीतिक दल के मुख्यालय का पता : २४ठीड़ भवन शहीद चौक कोटा डिल्ली राज्य भिला, बालोद ४९१२२८
4. निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दल के संजिस्ट्रीकरण की तारीख :
5. स्थायी खाता सं. (पेन) और वह आय-कर वार्ड/ सर्किल जहां राजनीतिक दल की विवरणी फाइल की जाती है.....
6. वित्तीय वर्ष २००५-२००६ के दौरान प्राप्त ऐसे अभिदृष्टों के जो वीस हजार रुपए से अधिक हैं व्यौरे -

24-1-1990 (56) 90

क्रम सं.	अभिदात्री व्यक्ति/ कंपनी का नाम और पूरा पढ़ा	पेन (यदि कोई हो) और आय-कर वार्ड / सर्किल	अभिदाय की रकम	अभिदाय की रीति (चैक/ मांगदेव ड्राफ्ट/ नकद)	टिप्पणियां
	निर्देशक	निर्देशक	निर्देशक	निर्देशक	निर्देशक

*चैक/ मांगदेव ड्राफ्ट द्वारा संदाय की दशा में, उस बैंक या बैंक की शाखा का नाम जिस पर चैक/ मांगदेव ड्राफ्ट लिखा गया है।

7. यदि अभिदायी एक कंपनी है तो क्या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 239क के अधीन अधिकथित शर्तों का अनुपालन किया गया है (कंपनी से अभिप्राप्त इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

सत्यापन में, नालिकराम भाटा (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/ पुत्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस प्रस्तुत में दी गई जानकारी ठीक, पूर्ण और सही तौर पर बताई गई है।

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं, ऊपर नामित राजनीतिक दल की ओर से अधिकारी की अपनी हैसियत में इस प्रस्तुत को सत्यापित कर रहा हूँ और मैं ऐसा करने के लिए सक्षम भी हूँ।

(कोषाध्यक्ष/ प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और नाम)

तारीख :

स्थान : दिल्ली राज्य भिला

N/2
अध्यक्ष

चत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
जिला-बालोद (छ.ग.)

R. C. Patel
अध्यक्ष
चत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
जिला-बालोद (छ.ग.)

1 अधिसूचना सं. का० आ० 1283 (अ), तारीख 10 नवंबर 2003 द्वारा अंतःस्थापित।